पत्रांक :–3 / यो.1–23 / 2023 (उ0शि0)..179/895/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 27/10/2026/

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची को बजटीय उपबंध के अंतर्गत उपबंधित राशि रू0 32,00,00,000/– (बतीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या 366 दिनांक 25.05.2016 एवं गै0स0प्रे0सं0–250 दिनांक 26.05.2026

आदेश :– स्वीकृत ।

विश्वविद्यालयों एवं अकादमियों के बीच सामूहिक सहक्रियात्मक संबंध, नीति निर्माण एवं सापेक्ष योजनाओं, अकादमिक उत्कृष्टता, समाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने एवं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य स्वायत्तता, जवाबदेही, समन्वय को सुनिश्चित करने तथा राज्य के समाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के मैत्रीपूर्ण विकास के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया है। इस हेतु अधिसूचना संख्या 366 दिनांक 25.05.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम–2026 प्रख्यापित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 32.00 करोड़ (बतीस करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध है।

3. अतः वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची को बजटीय उपबंध के अंतर्गत उपबंधित राशि रू0 32,00,00,000/– (बतीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष – "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)/78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान/79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BU000646/21S220203102BU000678/21S220203102BU000679) (स्कीम कोड–2172) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
38/बजट दि0 24.05.2024, 151/बजट दि0 28.08.2024 एवं 310/बजट दि0 21.01.2025	10,00,00,000/–	4,52,68,380/–

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित कार्यपालक निदेशक उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

26.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–23/2023 (उ0शि0) 179/एम/रॉची, दिनांक– 27/10/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार) 26.10.26
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–23/2023 (उ0शि0) 179/एम/रॉची, दिनांक– 27/10/2026

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची/प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एवं लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार) 26.10.26
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सूचित कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी

(सुधीर कुमार)
अवर सचिव